

—पिचत्तर—

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5
संख्या सं0वि0क0नि0-5-839/11-2006-500(159)-2005
लखनऊ, दिनांक 06 मार्च, 2006
अधिसूचना
आदेश

प0आ0-98

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, दिनांक 26 अक्टूबर, 2005 से सरकारी अधिसूचना संख्या क0नि0-5-4567/11-2005-500(117)/2003, दिनांक 26 अक्टूबर, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में शब्द और अंक "सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या 21 सन् 1860) के अधीन रजिस्ट्रीकृत निजी सोसाइटियों की" हटा दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
शेखर अग्रवाल,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. S.V.K.N.-5-839/XI-2006-500(159)-2005, dated March 06, 2006 for general information:

No. S.V.K.N.-5-839/XI-2006-500(159)-2005
Lucknow, Dated March 06, 2006
Notification
Order

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make with effect from October 26, 2005, the following amendment in Government notification no. K.N. 5-4567 /11-2005-500(117)-2003, dated October 26, 2005:-

AMENDMENT

In the aforesaid notification, the words and figures, "of private societies registered under the Societies Registration Act, 1860 (Act no 21 of 1860)" shall be omitted.

By order,
Sd/-Illegible
SHEKHAR AGARWAL,
Pramukh Sachiv.